लय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
सीन अधिकारीः—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
मा नम्बरः—230/2018 प्रार्थना पत्र
वानीशंकर पिता नंदलाल सुनार, उम्र बालिग निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ (राजस्थान)
———प्रार्थी

बनाम

मति भोली पत्नि ब्रदी जाट, उम्र बालिग निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ो ईश्वर पिता घीसू खटीक, उम्र बालिग निवासी पंचवटी रोड़, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
ो लक्ष्मीलाल पिता श्री नंदलाल सुनार, उम्र बालिग निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा
जस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
———विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः—29.3.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व नेयम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हलेड़ पटवार हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 94/3, 95/2 कुल किता 2 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी ार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 29.8.2018 को पंजीबद्व किया जाकर सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे ल पत्रावली किये गये । विपक्षीगण संख्या 1, 2, 3, 4 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 25.3.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त ाराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की जियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111—128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के स्वीकार किया जाकर ग्राम हलेड़ पटवार हल्का हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल जी नम्बर 94/3, 95/2 कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये रगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू—अभिलेख निरीक्षक, को 200/—रूपये (दौ सौ रूपये) कम्श्निर फीस पर कम्श्निर नियुक्त किया जाता हैं। कम्श्निर

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कम्श्निर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में
ढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 29.3.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner